

थाना बढापुर क्षेत्रान्तर्गत पुलिस व आबकारी टीम की संयुक्त कार्यवाही में 03 शराब की भट्टियाँ, शराब बनाने के उपकरण व मौके पर 1500 लीटर लहन नष्ट, 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा अवैध कच्ची शराब बनाने, बेचने व निष्कर्षण करने वाले अपराधियों के विरुद्ध थाना बढापुर क्षेत्रान्तर्गत सघन अभियान चलाया । अभियान के अन्तर्गत थाना बढापुर, अफजगढ, रेहड पुलिस व आबकारी टीम द्वारा जंगलो में कॉबिंग की गयी तथा पुलिस टीम द्वारा कई जगह छापेमारी की गयी ।

(i) आरक्षित वन क्षेत्र मदपुरी में छापेमारी के दौरान 01 शराब की भट्टी से अभियुक्त रणवीर सिंह को अवैध कच्ची शराब, शराब बनाने के उपकरण व एक मोटरसाईकिल पल्सर UP20P-5070 सहित गिरफ्तार किया । इसके 03 अन्य साथी कुलदीप, जगीरा, बलविन्द्र सिंह उर्फ भालू मौके उठाकर फरार हो गये । इस सम्बन्ध में थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 257/20 धारा 60(2)/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

(ii) ग्राम चम्पतपुर चकला में छापेमारी के दौरान 02 शराब की भट्टी से अवैध कच्ची शराब, 02 लोहे के ड्रम, 02 एल्युमिनियम पाईप व शराब बनाने के उपकरण बरामद किये तथा मौके से 05 अभियुक्त कृष्ण सिंह, अमरीक सिंह, चॉद सिंह, कुलविन्द्र सिंह, राम सिंह मौका उठाकर फरार हो गये । इस सम्बन्ध में थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 258/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम बनाम कृष्ण सिंह, अमरीक सिंह व चॉद सिंह व मु0अ0सं0 259/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम बनाम कुलविन्द्र सिंह व राम सिंह पंजीकृत किया गया ।

(iii) आरक्षित वन क्षेत्र मदपुरी में पुलिस टीम द्वारा अवैध कच्ची शराब बरामद की गयी तथा अभियुक्ता रज्जो पत्नी स्व0 मंगी उर्फ मंगल सिंह निवासी ग्राम मदपुरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर मौके से फरार हो गयी । इस सम्बन्ध में थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 260/20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

रणवीर सिंह पुत्र रंजीत सिंह निवासी ग्राम मदपुरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर

फरार अभियुक्तगण का विवरण:-

- 1) कुलदीप पुत्र रंजीत सिंह निवासी ग्राम मदपुरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
- 2) जगीरा पुत्र रंजीत सिंह निवासी ग्राम मदपुरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
- 3) बलविन्द्र सिंह उर्फ भालू पुत्र मेहर सिंह निवासी ग्राम मदपुरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
- 4) कृष्ण सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह निवासी ग्राम चम्पतपुर चकला थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
- 5) अमरीक सिंह पुत्र कृष्ण सिंह निवासी ग्राम चम्पतपुर चकला थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
- 6) चॉद सिंह पुत्र कृष्ण सिंह निवासी ग्राम चम्पतपुर चकला थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
- 7) कुलविन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी ग्राम चम्पतपुर चकला थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
- 8) राम सिंह पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम चम्पतपुर चकला थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
- 9) रज्जो पत्नि स्व० मंगी उर्फ मंगल निवासी ग्राम चम्पतपुर चकला थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।

अभियुक्तगणो से बरामदगी का विवरण

- 1) 03 कच्ची शराब की भट्टियाँ व शराब बनाने के उपकरण (ड्रम, पाईप, बाल्टी आदि)
- 2) 500 लीटर कच्ची शराब
- 3) 1500 लीटर लहन मौके पर नष्ट
- 4) एक मोटरसाईकिल पल्सर UP20P-5070

पुलिस टीम का विवरण

थाना बढापुर:-

प्रभारी निरीक्षक संजय धीर, निरीक्षक अपराध हरिनाथ सिंह, उ०नि० विनोद कुमार राठी, का० मोबीन, का० दिनेश कुमार, का० शंहशाह, का० सुरेन्द्र सिंह, का० राहुल कुमार, का० अमित कुमार, का० निश्चल, का० शिवकुमार, म०का० मैसर जहाँ,

आबकारी टीम:-

प्रधान आबकारी सिपाही आशेराम, आबकारी सिपाही सन्दीप कुमार

प्रेस नोट

दिनांक 18.09.2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चैकिंग संदिग्ध वाहन व वांछित व्यक्ति शान्ति व्यवस्था इयूटी में उ0नि0 श्री संजीव कुमार मय उ0नि0 श्री मानचन्द मय हमराही का0 1673 ब्रजकिशोर शर्मा व का0 1229 विवेक कुमार व का0 194 पुष्पेन्द्र सिंह मय जीप सरकारी नं0 यूपी 20 एजी 0132 मय चालक का0 1983 दुष्यन्त सिंह थाना हाजा से रवाना होकर ग्राम रतनगढ़ आईटीआई कालेज के सामने मामूर थे कि मुखबिर की सूचना पर अभि0 1.रोहित पुत्र कृष्णवीर उर्फ छोटे नि0 ग्राम रतनगढ़ थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर 2.उमर जिशान उर्फ बिट्टू पुत्र मो0 रफीक नि0 ग्राम लिण्डरपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर से 01 मोटर साईकिल स्पलेण्डर प्लस रंग काला संख्या UP23AA3475 -09 अदद मोबाईल व 01 तमंचा देशी 12 बोर 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुए। थाना शिवाला कला पुलिस के इस सराहनिय कार्य की जनता के व्यक्तियों द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की है अभियुक्त गणों को जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण:-

- 1.रोहित पुत्र कृष्णवीर उर्फ छोटे नि0 ग्राम रतनगढ़ थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर उम्र करीब 22 वर्ष
- 2.उमर जिशान उर्फ बिट्टू पुत्र मो0 रफीक नि0 ग्राम लिण्डरपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर तथा उम्र करीब 25 वर्ष



बरामदगी:-

1. मोटर साईकिल स्पलेण्डर प्लस UP23AA3475 (थाना स्यौहारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 473/20 धारा 379 आईपीसी से सम्बन्धित)
2. तमंचा देशी 12 बोर 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर
3. oppo रंग लाल IMEI no 867710042922035 व 867710042922027
4. Real me model Rmx 1945 जिसका IMEI 866505047660791 व 86650547660783
5. vivo 1904 रंग नीला जिसका IMEI no 867263043470117 तथा 867263043470109 है
6. jio रंग काला IMEI no 911662002686264
7. Real me रंग नीला IMEI 864229047064456 व 864229047064449
8. SAMSUNG रंग सफेद IMEI 353699119179796
9. SAMSUNG रंग नीला जिसका IMEI no 355684116569304 व 355685116569301 10. NOKIA model 200 रंग काला IMEI 359347043760026 व 359347043760024
11. MI रंग काला IMEI no 862181049368116

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

- 1.उ0नि0 श्री संजीव कुमार मय ,2.उ0नि0 श्री मानचन्द , 3.का0 1673 ब्रजकिशोर शर्मा , 4.का0 1229 विवेक कुमार , 5.का0 194 पुष्पेन्द्र सिंह , 6.का0 1983 दुष्यन्त सिंह

अपराधिक इतिहास

- 1.मु0अ0सं0 473/20 धारा 379 भादवि थाना स्यौहारा जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 154/20 धारा 411,414,420 भादवि थाना शिवाला कला बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 155/20 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना शिवाला कला बिजनौर

थाना हीमपुर दीपा :-आज दिनांक 19.09.2020 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा थाना हीमपुर दीपा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 256/20 धारा 363, 366, 376, 120 बी आईपीसी व 3/4 व 16/17 पोक्सो एक्ट के अभियुक्त तालिब पुत्र युसूफ व युसूफ पुत्र अब्दुल लतीफ निवासीगण भागूवाला थाना मंडावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।



थाना मण्डावर:- आज दिनांक 19.09.2020 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अभि0 जाकिर अली पुत्र मुरादअली थाना लक्सर जनपद हरिद्वार, 2-गौतम पुत्र जयपाल निवासी ग्राम चाहणवाला थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को 20-20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 255/20 धारा 60 (1) आबकारी अधि0 बनाम जाकिर व मु0अ0सं0 254/20 धारा 60 (1) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

